अतारांकित प्रश्न क्रमांक 247 [26/2/2021] पा० अ०

प्रश्न सं. [क्र. 247]

(9)

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/2014/18-2 भोपाल दिनांक 13.01.1

दिनांक 13/01/2014 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की रू 50.00 करोड़ से कम की योजना ''झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास'' के प्रशासकीय अनुमोदन हेतु आहूत वित्तीय व्यय समिति की बैठक का कार्यवृत।

--00--

आज दिनांक 13/01/2014 को उपरोक्त विषय में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-81/आर-1703/चार/ब-1/2011, भोपाल दिनांक 18.01.2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की रू 50.00 करोड़ से कम की योजना ''झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास'' के प्रशासकीय अनुमोदन हेतु आहूत वित्तीय व्यय समिति की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
2. श्री नीरज मंडलोई, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. श्री संजय कुमार शुक्ल, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
4. श्री वीरेन्द्र कुमार, उप सचिव, वित्त।
5. श्री अखिल कुमार वर्मा, संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास।
6. योजना से संबंधित नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रभारी अधिकारी।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग द्वारा ''झीलों तथा तालाबों के संरक्षण एवं विकास'' योजना की जानकारी तथा उसके अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि विगत वर्षो में प्रदेश के नगरीय निकायों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट देखी गई है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नगरों में स्थित झीलों एवं तालाबों के संरक्षण हेतु किये गये प्रयास अपर्याप्त रहे है। अधिकांश नगरों में तालाबों को अपशिष्ट जल की निकासी हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। किसी समय पेयजल का प्रमुख स्त्रोत माने जाने वाले ये तालाब वर्तमान में मलजल तथा ठोस अपशिष्ट निष्पादन के स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रदेश के आधे से अधिक नगरीय निकायों में झीलों एवं तालाबों की स्थिति अत्याधिक गंभीर है एवं यदि इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति अधिक भयावह हो सकती है।

3. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधित निर्देश दिये गये थे। इसी के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर भोपाल के भोजताल को प्रदूषण मुक्त करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन

2

अनुभाग अधिकारी मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

एवं विकास कार्य हेतु एक कार्ययोजना बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया था। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन (एप्को) द्वारा प्रदेश के बड़े नगरीय निकायों में 240 झीलों एवं तालाबों को चिन्हांकित किया गया है। परन्तु इन निकायों के अतिरिक्त भी अन्य निकायों में अथवा आसपास झील एवं तालाब पेयजल के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में अवस्थित है। इन झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त किया जाना एवं पेयजल के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में विकसित किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

4. योजना के अन्तर्गत झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउंड्री वाल बनाना, सघन वृक्षारोपण तथा लॉन विकसित करना, पेवमेंट, लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्थ झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के परिप्रेक्ष्य में झीलों तथा तालाबों के संरक्षण के संबंध में कराये जाने वाले कार्य इत्यादि प्रस्तावित किये गये है।

5. योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को निम्नानुसार अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी :-

निकाय का प्रकार	राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत	निकाय का अंश
नगर निगम	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
नगर पालिका	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
नगर परिषद	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत

6. इस योजना के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए रू. 50.00 करोड़ का वित्तीय व्यय राज्य शासन के अनुदान के रूप में आंकलित किया गया है, इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन/वाहय वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान राशि को भी इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा। वित्त लक्ष्य का वर्षवार आंकलन निम्नानुसार है :-

वित्तीय लक्ष्य का वर्षवार आंकलन :- (रु करोड मे)

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
15.00	8.73	8.73	8.73	8.81	50

7. विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

7.1 योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने वाले कार्यो को सम्मिलित किया जाये।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

7.2 योजना में स्थाई प्रकृति के कार्यो जैसे संघन वृक्षारोपण, पेवमेंट, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, कटाव को रोकने के कार्य तथा माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के परिप्रेक्ष्य में झीलों तथा तालाबों के संरक्षण के संबंध में कराये जाने वाले कार्य इत्यादि के लिये ही निकायों को अनुदान दिया जाये।

7.3 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार अथवा अन्य वाह्य एजेंसियों से अनुदान प्राप्त होने पर तालाबों के सौन्दर्यीकरण, के कार्य लिये जा सकते है।

7.4 भारत सरकार अथवा अन्य वाह्य एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिये राज्य शासन का अंशदान योजना के अन्तर्गत प्रदाय किया जा सकता है।

7.5 वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना हेतु रू. 125.00 लाख के प्रावधान अन्तर्गत योजना के डीपीआर बनाने एवं माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कराये जाने वाले कार्यो के लिए राशि विमुक्त की जाये।

7.6 योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा विस्तृत डीपीआर तैयार होने के उपरान्त वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-81/आर-1703/चार/ब-1/2011, भोपाल दिनांक 18.01.2012 में प्रावधानित सक्षम समितियों से अनुमोदन प्राप्त करके परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यो को बैठक में उपस्थित रहने के लिये धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

(एस.एन. मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल, दिनांक

पृष्ठां. क्रमांक-2014/18-2
प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त्त विभाग।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
3/1/14

P NO 3 LETTER GOVT M.P

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल